**डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–19.02.2018 (सोमवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 44वीं बैठक की कार्यवाही :–**

1. उपस्थिति – बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे : –

| क्र०सं० | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम | उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ०(प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र | सभापति | उपस्थित |
| 2. | श्री अखिलेश वाजपेयी, उप–सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची। | पदेन–सदस्य | उपस्थित |
| 3. | श्री सुरेन्द्र दास, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत। | पदेन–सदस्य द्वारा मनोनीत सदस्य | उपस्थित |
| 4. | श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्) | सदस्य | उपस्थित |
| 5. | श्री विनोद कुमार कर्ण, (पूर्व प्राचार्य) नेतरहाट विद्यालय। | सदस्य | उपस्थित |
| 6. | श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय। | सदस्य | उपस्थित |
| 7. | श्री अंजनी कुमार पाठक, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय। | सदस्य–सचिव | उपस्थित |
| 8. | श्री अनिल कुमार सिंह, शिक्षक प्रतिनिधि, नेतरहाट विद्यालय। | विशेष आमंत्रित | उपस्थित |
| 9. | श्री प्रह्लाद मेहता, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार। | विशेष आमंत्रित | उपस्थित |

2. **कार्यसूची की मद संख्या–01** : विगत 43वीं बैठक दिनांक–21.12.2017 की कार्यवाही सर्वसम्मति से संपुष्ट की गई।

कृष्ण कुमार नाग
16.3.2018

3. **कार्यसूची की मद संख्या –02 :** विगत 43वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति द्वारा समर्पित अनुपालन/ कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से संपुष्ट करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन पर प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिए गये –

(क) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–02(क) – उक्त निर्णय को अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, विद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति के किन्हीं सदस्य से आवश्यकतानुसार सहायता लेंगें।

(ख) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–02(ख) – आगामी सत्र के बजट का निर्धारण यथासंभव अक्टूबर माह में पूर्ण करते हुए इसे कार्यकारिणी समिति की बैठक में, प्रस्तावित बजट को प्रशासी विभाग को भेजने के कम से कम एक माह पूर्व, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्देश प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, को दिया गया।

(ग) विद्यालय परिसर के सुरक्षित कैम्पस के लिए आवश्यक चहारदीवारी निर्माण हेतु, विद्यालय को तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा सन् 1954 में कितनी जमीन व भवन उपलब्ध कराए गए थे, इनके सभी दस्तावेजों : नक्शा/खतियान पूरी तौर पर विद्यालय में उपलब्ध रहने चाहिए। विद्यालय की जमीन को 1954 से अबतक किसी को चूंकि कभी भी हस्तान्तरित नहीं किया गया है, और चूंकि अब इसके उत्तर, पूरब और पश्चिम दिशा में कई प्रकार के मकान, बंगले, होटल वगैरह बनने लगे हैं, जिनको देखकर ही राज्य के माननीय मुख्य मंत्री, श्री रघुवर दास जी ने दिनांक 8 फरवरी 2018 को विद्यालय के सम्मेलन में अपने संबोधन में स्पष्ट निर्देश राज्य के अधिकारियों को देते हुए यह चेतावनी दी कि *"नेतरहाट विद्यालय इस राज्य का गौरव है....और कैसे फले–फूले, आसपास के गांव के लोग भी इसकी चिन्ता करें।* ***कोई अतिक्रमण इस विद्यालय की जमीन का ना करे, इस पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन देखे"।***

विद्यालय की पूर्व कार्यकारिणी समितियों द्वारा तथा विद्यालय स्तर से पूरे दस्तावेजों को प्राप्त करने की कार्रवाई पहले भी की गई है लेकिन अभी तक पूरे नक्शे व खतियान आदि समिति को उपलब्ध नहीं हो सके हैं। पक्की चहारदीवारी द्वारा अपने कैम्पस को सुरक्षित किए जाने हेतु कार्यकारिणी के सदस्य श्री विनोद कुमार कर्ण (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय) की अध्यक्षता में एक उप–समिति बनाने का निर्णय लिया गया। विद्यालय के वरीयतम शिक्षक इसके एक सदस्य होंगे। प्राचार्य आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की सुविधाऐं इस उप–समिति को उपलब्ध करायेंगे। विद्यालय के श्री संजय कुमार, केयरटेकर एवं श्री निरंजन तिर्की उप–समिति को सहयोग करेंगे। इस उप–समिति के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध



विनोद कुमार कर्ण
16. 3. 2018

में आवश्यक सभी प्रकार के नक्शे, खतियान व अन्य दस्तावेजों को अतिशीघ्र प्राप्त करने हेतु (नेतरहाट के किसी रैयत, महुआटांड़, लातेहार, मेदिनीनगर, रांची अथवा/या पटना रिकार्ड रूम, आदि जहां से भी मिल जाय) यात्रा-ठहराव व्यय इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि उन्हें विद्यालय की सम्पूर्ण जमीन-सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर सभापति को यथाशीघ्र समर्पित करने में कोई दिक्कत न हो।

(घ) अनुपालन प्रतिवेदनः 21.12.2017 की बैठक की मद संख्या-03 - विद्यालय के नये वेबसाईट के सन्दर्भ में गठित उप-समिति के सदस्यों द्वारा तैयार किए गये अन्तरिम रिपोर्ट (जिसमें वित्त विभाग के उप-सचिव श्री अखिलेश वाजपेयी जी और विद्यालय के प्राचार्य (व संयोजक) श्री पाठक जी अपरिहार्य कारणें से उपस्थित नहीं हो सके थे) को सभापति, कार्यकारिणी समिति को सुपुर्द किया गया। विचारोपरान्त, प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि अन्तिम रिपोर्ट हेतु उप-समिति की एक बैठक यथाशीघ्र आयोजित करा लें ताकि अन्तिम रिपोर्ट को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

(ङ) अनुपालन प्रतिवेदन : 21.12.2017 की बैठक की मद संख्या क्रमांक-06 -विद्यालय के आश्रमों/भवनों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्य कार्यपालक अभियन्ता के आश्वासनों के बावजूद समय पर संतोषजनक रूप में नहीं हो पाए हैं, जैसे : कई आश्रमों के कुछेक बाथ रूम के दरवाजे बन्द नहीं हो पाते, पैन्ट्री में पानी जमा रह जाता है, प्रथम सेट में गन्दे नाली के अन्दर से पीने वाले पानी का पाइप पहुंचाया जा रहा है, साथ ही बिजली के तार का केबुल भी उसी नाली से होकर जा रहा है। कहीं के टंकी से पानी चूता रहता है तो कुछ सेट की नाली इतनी गहरी और संकरी है कि अगर कोई बालक या बछड़ा गिर गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, और उसी नाली से होकर मोटे-मोटे बिजली के केबुल तार बिछे हैं। कहीं शैचालयों के मल निकास वाले पाइप से उंची सेफ्टिक टैंक है, तो कहीं आश्रम के बाहर का पानी आश्रम के आंगन में घुसता है। लगता ही नहीं कि इन कार्यो को कोई सुपरविजन भी करता रहा होगा, आदि-आदि। अतः कराये जा रहे विभिन्न आश्रमों/भवनों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्यो की समीक्षा एवं जांच हेतु एक आन्तरिक जांच समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया जिसके निम्न सदस्य होंगे - (क) श्री सच्चिदानन्द ठाकुर पूर्व मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची-सह पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, (मो.न. 9431173363) (ख) प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, (जांच समिति के संयोजक) तथा (ग) उपायुक्त लोहरदगा (सदस्य, सामान्य निकाय, ने.वि.स.) के द्वारा मनोनीत एक सिविल इंजीनीयर।



दीपा कुमारी नाग

16. 3. 2018

इस जांच समिति में इन निर्माण/ जीर्णोद्धार कार्यों के Architects की ओर से श्री रीमांशु हिरानी (जो अपने फर्म की बकाये राशि की भुगतान हेतु, बैठक के पूर्व सभापति कक्ष में आए थे और जिन्होंने यह जानकारी दी थी कि उनकी फर्म को इन कार्यों के सुपरविजन का दायित्व नहीं दिया गया था, अतः निर्णय लिया गया कि नियमानुसार इस फर्म की बकाए राशि का भुगतान कर दिया जाय) ने यह आश्वासन दिया कि उक्त जांच समिति को सहयोग करने के लिए वे अपने फर्म से एक विशेषज्ञ को नेतरहाट भेजने में सहमत हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये कार्य Architecture के अनुसार ही हुए हैं या नहीं।

सभी बिन्दुओं की जांच कर उक्त जांच समिति अपनी रिपोर्ट सभापति, कार्यकारिणी समिति, को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी। साथ ही निर्माण कार्यों में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को भी उपलब्ध करायेगी। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को यह निर्देश हुआ कि जांच कमिटी के निर्देश के अनुसार आश्रमों के नवनिर्माण कार्यों में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेंगे।

(च) अनुपालन प्रतिवेदनः 21.12.2017 की बैठक की मद संख्या क्रमांक–08– दिनांक–26.12.2017 से 30.12.2017 तक 10वीं व 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थी छात्रों की कतिपय कठिनाईयों को सहल–सरल करने हेतु विषय विशेषज्ञ के रूप में सभापति के अनुरोध पर नेतरहाट विद्यालय पधारे डा. राजीव अस्थाना (भौतिकी), श्री उत्तम लाहा (रसायन शास्त्र) एवं डा. सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (जीव विज्ञान) को विद्यालय में प्रतिदिन कक्षाएं लेने के एवज प्रतिदिन मात्र 2000/– (दो हजार रूपये) टोकन पारिश्रमिक मानदेय के रूप में दी गई कुल राशि रू. 10,000 x 3 = 30,000/–(तीस हजार मात्र) की सर्वसम्मति से सम्पुष्ट की गई।

वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के सुझाव के अनुरूप निर्णय लिया गया कि, विद्यालय के छात्र हितों के तहत समय–समय पर सामान्य निकाय की अध्यक्ष और/या कार्यकारिणी समिति के सभापति के आमंत्रण या निदेशानुसार विशिष्ट शिक्षाविदों/विशेषज्ञों/सामान्य निकाय अथवा कार्यकारिणी समिति या उप–समितियों के सदस्यों को अनुश्रवन या मोनिटरिंग अथवा आवश्यकतानुसार जांच करने की महती उपयोगिता संदर्भित करते हुए, इन पर होने वाले संभावित यात्रा, ठहराव तथा टोकन मानदेय सम्बन्धी प्रस्ताव समिति की सामान्य निकाय की अध्यक्ष–सह माननीया मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को स्वीकृति हेतु निवेदन सभापति, कार्यकारिणी समिति द्वारा यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाय।



कृष्ण कुमार चाग
16.3.2018

(छ) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–11 – विद्यालय में प्राचार्य पद की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक–26.02.2018 तक प्रकाशित कराये जाने का निर्णय लिया गया। विज्ञापन का प्रकाशन IPRD, झारखण्ड तथा Employment News के माध्यम से प्रकाशित कराये जाने का निर्णय लिया गया। विज्ञापन के प्रकाशन हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया गया। प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष से 60 वर्ष करने की नियमावली में संशोधन के लिए सभापति, समिति की सामान्य निकाय की अध्यक्ष–सह माननीया मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को अनुरोध करेंगे तथा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह–सदस्य, सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति से सहयोग हेतु निवेदन करेंगें।

(ज) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–12(4)– सामान्य निकाय समिति एंव कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के वायुयान यात्रा की सम्पुष्टि हेतु प्राचार्य –सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि अनुमोदन हेतु पत्र प्रशासी विभाग को समर्पित किया जा चुका है जो सम्प्रति विभागीय स्तर से प्रतीक्षित है। इस पर बैठक में उपस्थित अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया कि पुनः विभाग को एक अनुस्मार पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाय। ध्यातव्य है कि नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा इन माननीय सदस्यों को मनोनीत किया गया है जो उच्च पदों से सेवानिवृत सभी सीनियर सिटीजन तो हैं ही, कुछेक दिल्ली अथवा मुम्बई/पूना में निवास भी कर रहे हैं!

04. **कार्यसूची की मद संख्या–03** : शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अन्तर्वीक्षा दिनांक–05.01.2018 से 17.01.2018 तक रांची में आयोजित की गई थी। अन्तर्वीक्षा में कुल सात विषयों हेतु कुल 197 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अन्तर्वीक्षा पूर्व सभी अभ्यर्थियों को प्रथम 20 मिनट मानसिक योग्यता–सह सामान्य ज्ञान की, एवं 20 मिनट की समाप्ति होते ही विषय विशेष की 30 मिनट की लिखित परीक्षा ली गई थी।

केवल कला विषय के अभ्यर्थियों को मानसिक योग्यता–सह सामान्य ज्ञान की 20 मिनट की लिखित परीक्षा की समाप्ति होते ही, विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित किन्हीं एक महापुरूष की फोटो देखकर पेन्सिल स्केच 30 मिनट में करने के अवसर दिए गए थे। तदुपरान्त उन्हें वहीं पर उपलब्ध कराये गए सफेद पेन्टिंग शीट पर, ब्रश व वाटर कलर द्वारा 40 मिनट में कला के विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित विषय पर अपनी पेन्टिंग करने का अवसर दिया गया था। चयन समिति ने इनके अध्यापन कला कौशल के बारे में अन्तर्वीक्षा के दौरान भी विद्यार्थियों की तरह प्रश्न पूछे। इस अन्तर्वीक्षा में



16.3.2018

प्राचार्य–सह सदस्य सचिव भी उपस्थित थे। अतः केवल कला के अभ्यर्थियों में से अन्तिम चयन सूची रांची में ही बना दी गई। पूर्णांक 100 में पाया गया कि इस विषय में साक्षात्कार में शामिल कुल 23 अभ्यर्थियों (जिनमें अनुसूचित जन–जाति के कुल 8 अभ्यर्थी थे) की मेरिट के आधार पर बनी सूची में अनुसूचित जन–जाति को द्वितीय, व चतुर्थ स्थान प्राप्त थे। कुल 10 शिक्षकों में से चूंकि 6 पद अनुसूचित जन–जाति के लिए आरक्षित थे, अतः चयन समिति ने निर्णय लिया कि एक पद, कला विषय, को अनुसूचित जन–जाति के उपयुक्त शिक्षक के लिए निर्धारित करना उचित होगा।

कला को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कुल 18 Shortlisted अभ्यर्थियों को शिक्षण दक्षता हेतु दिनांक–12.02.2018 एवं 13.02.2018 को नेतरहाट बुलाया गया था। उक्त तिथियों में विद्यालय के प्रथम बैच के पूर्ववर्ती छात्र डा. त्रिनाथ मिश्र (IPS (Rtd), Ex-Director, SPG, Ex-Director CBI, Ex-Director General CRPF, Ex-Director General CISF etc.) को रांची से नेतरहाट में आमंत्रित किया गया था। इन अभ्यर्थियों को उनके विषय की कक्षा में छात्रों, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, एक पूर्ववर्ती छात्र तथा सभापति की उपस्थिति में तत्क्षण निदेशित किए गए विषय पर कक्षा 9–10 या 11–12 के अनुरूप 25 मिनट व्याख्यान व तदोपरान्त 5 मिनट प्रश्नोत्तर का अवसर दिया गया। इनका मूल्यांकन अधिकतम 10 अंक मानकर सभी के द्वारा किया गया। सभी छात्रों के द्वारा मूल्यांकित नम्बर के औसत अंक, तथा विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, पूर्ववर्ती छात्र व सभापति द्वारा प्रदत्त अंकों के औसत अंक को, उनके लिए रांची में चयन समिति द्वारा अन्तर्वीक्षा एवं शिक्षण दक्षता के आधार पर दिए गए प्राप्तांक को जोड़कर तैयार किए गये पैनल सूची को बैठक में सभी सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के नियमसंगत सुझाव को अंगीकृत करते हुए पैनल सूची में से अनुसूचित जन–जाति के तीन अभ्यर्थियों, पिछड़ा वर्ग एक, के एक अभ्यर्थी तथा अनारक्षित कोटा के दो अभ्यर्थियों को शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की सम्पुष्टि की गई। प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, इसी पैनल के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगें। पैनल की वैधता एक वर्ष के लिए मान्य होगी। ध्यातव्य हो कि विज्ञापन में दो पद अनारक्षित, छहः पद अनुसूचित जन जाति, एक पद पिछड़ा वर्ग 1 तथा एक पद अनुसूचित जाति के लिए रखे गए थे। चूंकि अनुसूचित जाति के कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं मिल पाए, अतः भविष्य में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन में अनुसूचित जाति के एक तथा अनुसूचित जन जाति के तीन पदों को बैक लॉग पद के रूप में रखना होगा। अन्तर्वीक्षा में विशेषज्ञों को टोकन मानदेय एवं Short Listed



कृष्ण कुमार नाग
16.3.2018

अभ्यर्थियों को नेतरहाट की कक्षा में शिक्षण–निपुणता जांच हेतु यात्रा–भत्ता के रूप में, भुगतान करने की स्वीकृति की सर्वसम्मति से सम्पुष्ट की गई।

05. **कार्यसूची की मद संख्या–04** : विद्यालय में चिकित्सा पदाधिकारी, नर्स एवं कम्पाउन्डर के पदों पर हुई नियुक्ति के क्रम में चिकित्सा पदाधिकारी एवं नर्स पैनल के प्रथम उम्मीदवार द्वारा विद्यालय में अपना योगदान दिया है। कम्पाउन्डर पद के पैनल सूची के प्रथम उम्मीदवार श्री राजशेखर साहा द्वारा योगदान न देने की स्थिति में पैनल सूची के दूसरे उम्मीदवार श्री विमलेन्दु प्रसाद महतो ने दिनांक–09.02.2018 को विद्यालय में अपना योगदान किया है। इस कृत कार्रवाई की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

06. **कार्यसूची की मद संख्या–05** : गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में आवेदित पद व्यायाम प्रशिक्षक, कृषि प्रशिक्षक, आशुलिपिक, पत्राचार लिपिक तथा प्रयोगशाला भंडारी के आवेदनों का स्क्रूटनी कार्य पूरा किया जा चुका है। तदनुसार, नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली के अनुरूप चयन समिति का गठन निम्न रूपों में किया गया –

1. अध्यक्ष – प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट

2. विशेषज्ञ सदस्य – श्री एच.के.पी.सिन्हा, प्रख्यात शिक्षाविद् सह–सदस्य, कार्यकारिणी समिति,ने.वि.स.

3. सदस्य – श्री अनिरूद्ध प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी–सह पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, (मो. न. 9934348263)

4. सदस्य – श्री मुरलीधर कोटवार (अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रतिनिधि) सह–शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय,नेतरहाट

प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि शीघ्रातिशीघ्र अन्तर्वीक्षा तिथि, समय एवं स्थान (रांची स्थित समिति कार्यालय) का निर्धारण कर अभ्यर्थियों एवं माननीय सदस्यों को अपने स्तर से संसूचित कर देंगे।

07. **कार्यसूची की मद संख्या–06** : निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय/ नेतरहाट विद्यालय समिति को स्वीकृत किए वेतन एवं गैर वेतन मद की शेष उपबंधित राशि के आन्तरिक विभाजन की स्वीकृति हेतु प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर कतिपय संशोधन करते हुए अनुमोदित किया गया। तदनुसार, विभागीय पत्रांक–16 दिनांक–09.06.2017 एवं विभागीय पत्रांक–122 दिनांक–20.01.2018 के द्वारा स्वीकृत कुल राशि वेतन एवं गैर वेतन मद के क्रमशः रू. 3,55,36,000.00 एवं



कृष्ण कुमार पाठ
16.3.2018

रू. 9,85,90,000.00 के मदवार आन्तरिक विभाजन की स्वीकृति दी गई।

08. **कार्यसूची की मद संख्या–07** : अधीक्षण अभियन्ता, बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गुमला द्वारा नवनिर्मित ऑडिटोरियम के प्रयोजन हेतु समर्पित कुल 500KVA के ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापन की तकनीकी स्वीकृति राशि रू. 53,35,724.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त कार्य कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार की देख–रेख में किया जाएगा। प्रशासी विभाग द्वारा उक्त राशि के आवंटन एवं विमुक्ति के पश्चात् यह राशि पुनः कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को हस्तांतरित किया जाएगा।

09. **कार्यसूची की मद संख्या–08** : सत्र 2017–18 के चयनित 100 छात्रों की शारीरिक जांच सिविल सर्जन, लोहरदगा के कार्यालय में दिनांक–01.02.2018 से 03.02.2018 तक सम्पन्न हुई। प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन द्वारा सभी छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट विद्यालय कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि दिनांक–11.03.2018(रविवार) को नामांकन प्रक्रिया कर ली की जाय। नामांकन के स्थान निर्धारण हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया गया।

10. **कार्यसूची की मद संख्या–9** : श्री चन्द्रिका पंडित, लेखापाल के दिनांक–28.02.2018 को सेवा–निवृति के पश्चात्, प्राचार्य की अनुशंसा पर, विद्यालय कार्यालय के कार्यो एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के प्रभावी संकल्प संख्या –1243/वि. दिनांक–28.04.2016 के आलोक में आगामी 06 माह संविदा पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई।

11. **कार्यसूची की मद संख्या–10** : प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय के शिक्षक श्री तारकेश्वर पासवान एवं सुश्री सारणी राय की सेवा सम्पुष्टि हेतु समर्पित ACR के विचार–विमर्श के क्रम में कुछेक–बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा सम्पुष्टि को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि सेवा सम्पुष्टि के पूर्व सभापति एवं सदस्य/सदस्यों द्वारा विद्यालय जाकर इनके शिक्षण कला कौशल व दक्षता की जांच करते हुए अपना रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ताकि इस पर समुचित निर्णय लिया जा सके। प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव सम्बन्धित शिक्षकों को अपने स्तर से इस आशय की सूचना दे देंगे।

16.3.2018

चूंकि प्रातः 10.30 बजे से लगभग अपराह्न 3 बजे तक बैठक चल ही रही थी और माननीय सदस्य प्रो. नरेन्द्र नाथ पाण्डेय जी और आमंत्रित शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह जी को 3.30 बजे तक हवाई यात्रा हेतु रांची एअरपोर्ट पहुंच जाना था अतः उन दोनों ने सभापति से यह कहते हुए कि कृपया बैठक में अन्यान्य में मुख्य मंत्री जी के नेतरहाट परिभ्रमण व उनकी शैले सम्बन्धी घोषणा का जिक्र अवश्य रिकार्ड करवा लिया जाय, बैठक समय से पूर्व जाने की इच्छा प्रदर्शित की। इसी प्रकार अपने कार्यो की अति-व्यस्तता के कारण माननीय सदस्य श्री अखिलेश वाजपेयी जी तथा श्री सुरेन्द्र दास जी ने भी बैठक से जाने की इच्छा प्रगट की, जिसे स्वीकृत करते हुए कार्यसूची की मद संख्या-14 Artificial Intelligence & Robotics की विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं निर्णय को अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया। किन्तु निम्न मदों पर बैठक में उपस्थित शेष सदस्यों ने विमर्श कर निर्णय लिए।

11. **कार्यसूची की मद संख्या-11** : विद्यालय में अनुशासन सम्बन्धी कुछ आरोपों की जानकारी के सम्बन्ध में सच्चाई तथा कारण-निवारण हेतु सभापति ने दिनांक 2 फरवरी 2018 को कार्यकारिणी समिति के माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार कर्ण को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया। किन्तु उसके दो दिनों बाद अध्यक्ष, सामान्य निकाय सह-माननीया शिक्षा मंत्री जी ने सभापति को दूरभाष पर जानकारी दी कि दिनांक 7 फरवरी 2018 को नेतरहाट में झारखण्ड कैबिनेट की बैठक होगी व 8 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी का विद्यालय परिभ्रमण-निरीक्षण होगा, अतः रांची स्थित कार्यकारिणी की टीम के साथ सभापति वहां उपस्थित रहें। तद्नुसार श्री एच. के. पी. सिन्हा जी एवं श्री विनोद कुमार कर्ण जी के साथ सभापति 6 फरवरी 2018 की शाम नेतरहाट पहुंचे। ऐसी परिस्थिति वश, समयाभाव के कारण, श्री कर्ण द्वारा यह जांच पूरी नहीं हो पाई है, किन्तु अगली कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व इसे पूरी कर प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए श्री कर्ण जी को अनुरोध किया गया।

12. **कार्यसूची की मद संख्या-12** : जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े प्राचार्य-आवास को नए सिरे से निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की गई। पूर्व में बनाए गए प्राचार्य-आवास के नक्शे को प्राचार्य द्वारा सभापति को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जा सके।

13. अन्यान्य मद में दिनांक 8 फरवरी 2018 को झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी, सामान्य निकाय की अध्यक्ष-सह माननीया शिक्षा मंत्री, डा. नीरा यादव जी तथा राज्य सरकार के कई अन्य



16.3.2018

माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद गण व माननीय विधयक गण तथा कई वरीय पदाधिकारी गणों का विद्यालय परिभ्रमण तथा उनके द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय, जीव विज्ञान म्यूजियम, कला प्रदर्शिनी कक्ष का निरीक्षण, तत्पश्चात् नव निर्मित ऑडीटोरियम का उद्घाटन और फिर विद्यालय सम्मेलन में सहभागिता पर विशेष चर्चा की गई।

कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यगण व सभापति ने अत्यंत आभार प्रदर्शन किया कि हमारे राज्य के माननीय मुख्य मंत्री, श्री रघुवर दास जी, ने सम्मेलन में अपने द्वारा किए गए सम्बोधन में, विशेष कर निम्नांकित घोषणाएं कर नेतरहाट विद्यालय को प्रगति–पथ पर ले चलने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया :

*1. "....यहां नाग साहब से मेरी बात हो रही थी, ये जो उन्होंने डिमांड रखा है.....शैले को धरोहर भवन तथा संग्रहालय प्रदर्शनी केन्द्र, तो इसकी घोषणा करता हूं। ये आपको सुपुर्द किया।"*

*2. "....एकाथ महीने के अन्दर यहां पर फिल्टर प्लान्ट बनाकर हमारे बच्चों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।"*

*3. "...एक इन्डोर स्टेडियम भी यहां बनेगी।... खेल मंत्री और खेल सचिव जी भी यहां बैठे हुए हैं, उनको अविलम्ब सान्कशन करेंगे।"*

*4. "...कंम्प्यूटर एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्स की उच्च स्तर की शिक्षा ..... उसकी भी आधारभूत संरचना में कोई आपको जरूरत हो तो सरकार आपके साथ है।"*

*5. "...तो यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं....रणधीर सिंह है?....कृषि केन्द्र की स्थापना यहां करो ताकि कृषि में हमारे बच्चे.....(तालियों की गड़गड़ाहट)।*

*6. "...नेतरहाट आने वाले समय में शैक्षणिक केन्द्र के रूप में एक हब बनेगा...ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए।"*

*7. "...नेतरहाट इस राज्य का गौरव है... तो कैसे और फूले–फले, आस–पास के गांव के लोग भी इसकी चिन्ता करें। कोई अतिकमण इस विद्यानय की जमीन का ना करे, इस पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन देखे।"*

माननीय मुख्य मंत्री जी की इन घोषणाओं को कार्यरूप देने के लिए प्राचार्य सह सदस्य–सचिव को अविलम्ब कदम उठाने के लिए निर्णय लिए गए।



16.3.2018

माननीय मुख्य मंत्री जी को नेतरहाट विद्यालय परिभ्रमण हेतु आमंत्रित करने के लिए कार्यकारिणी समिति हमारी अध्यक्ष–सह माननीया शिक्षा मंत्री डा. नीरा यादव जी, के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करती है।

14.**कार्यसूची की मद संख्या–13 :** विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र मो. शाद कयूम के दिनांक 12 जनवरी 2018 को उनके आवास पर असामयिक निधन के विषय में सूचित किया गया कि 18 जनवरी 2018 को श्री एच. के. पी. सिन्हा एवं सभापति डा. के. के. नाग तथा प्राचार्य श्री अंजनी कुमार पाठक व उनकी धर्मपत्नी (प्रधान माता जी) स्व. छात्र के घर लोहरदगा गए थे। उनके पिता ने अपनी व्यथा के कम में हम लोगों को बताया कि "जाड़े की छुट्टी में बालक घर आया हुआ था। उस दिन वह अपने चाचा जी (जो बगल में ही रहते हैं) के घर पर कम्प्यूटर पर गेम खेलने के बाद अपने घर आया, अपनी मां व बहनों के साथ ही दिन का भोजन किया। कुछ देर के बाद उसने अपनी तीन चार–साल बड़ी बहन से स्मार्ट फोन मांगने की जिद की। बहन के मना करने पर तत्काल आवेश में आकर सीढ़ी से ऊपर तल्ले में गया और चौखट के ऊपर मफलर को बांध कर अपने गले में ऐसा बांध लिया कि कुछ ही मिनटों में उनके एकलौते बेटे....., उनकी दुनिया चली गई.....क्या कहा जाए जीवन शायद उतने ही दिन का था!"

उपस्थित सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन व्रत रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति व शोक–संतप्त परिवार को इस अत्यन्त दुःखदायी स्थिति को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

बैठक में उपस्थित होकर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की सराहना करते हुए सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग

(कृष्ण कुमार नाग) 16.3.2018
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।